निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

संदर्भ मार्गदर्शिका

कक्षा 10 के लिए

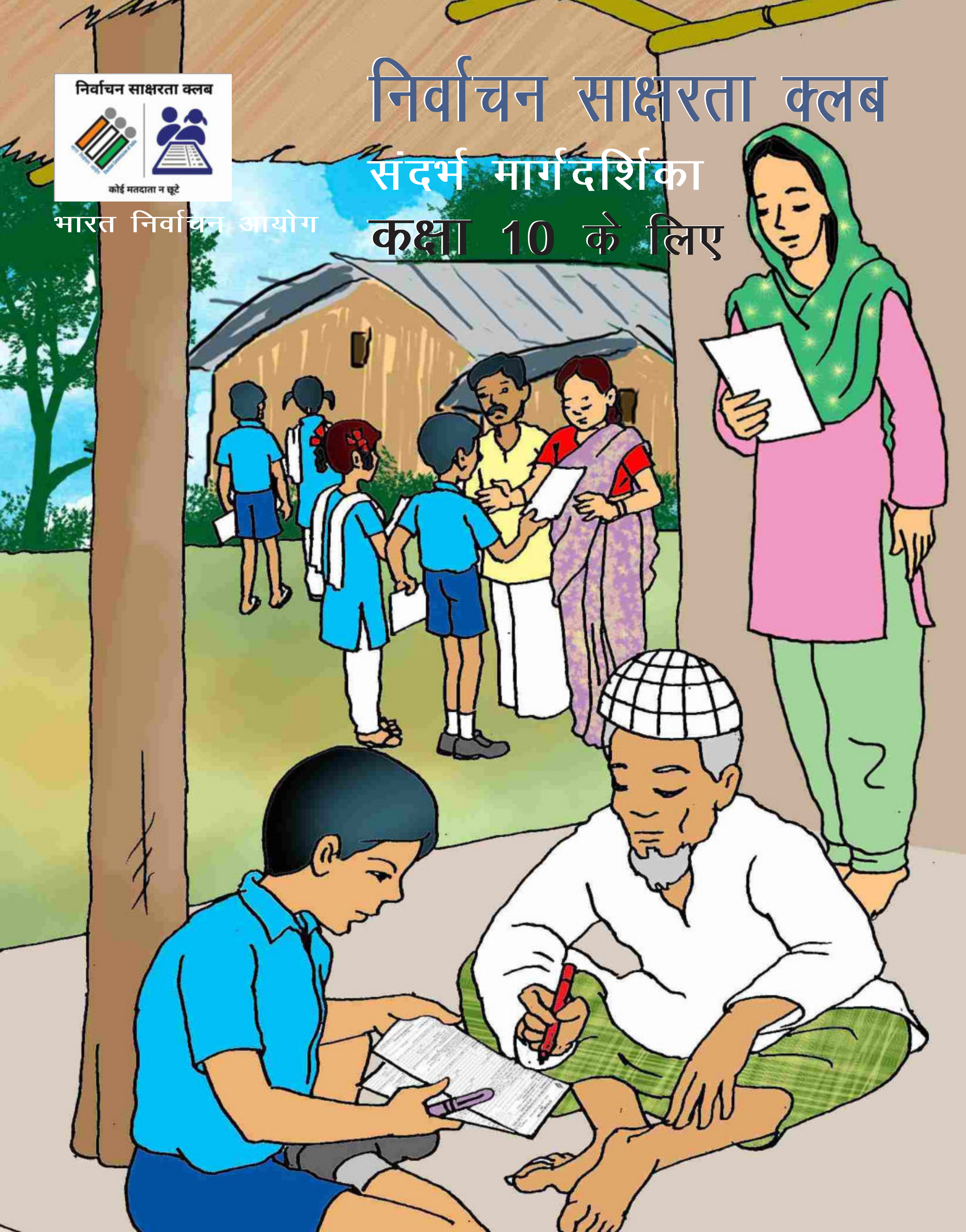

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

संदर्भ मार्गदर्शिका

कक्षा 10 के लिए

प्रस्तावना

इस संदर्भ मार्गदर्शिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। निर्वाचन आयोग 15-16 वर्ष के विद्यार्थियों को निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित जो संदेश देना चाहता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये गतिविधियाँ बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई हैं। इस संदर्भ मार्गदर्शिका में गतिविधियों के सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, इसलिए यह मार्गदर्शिका **निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के लिए निर्देश पुस्तिका या मैनुअल** के रूप में कारगर सिद्ध होगी।

क्लब संयोजक और नोडल अधिकारी इस संदर्भ मार्गदर्शिका में दी गई सभी या अधिक से अधिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे। वे इन गतिविधियों को इस तरह से संचालित करेंगे कि विद्यार्थी उनके माध्यम से दिए गए संदेशों को ग्रहण कर सकें। फिर भी, इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि अपने शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कक्षा 10 के विद्यार्थी इन गतिविधियों से इतना तो सीख ही सकें–

1. विद्यार्थियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए– फॉर्म 6 कैसे भरें, पंजीकरण के लिए कौन से अभिलेख जरूरी हैं, और फॉर्म कहाँ से मिलेंगे।
2. विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि मतदान केन्द्र पर क्या-क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के इस सिद्धान्त को भी समझना चाहिए कि 'कोई मतदाता न छूटे'।
3. वोट की कीमत क्या होती है, यह विद्यार्थियों को अच्छी तरह आत्मसात् कर लेना चाहिए।
4. विद्यार्थियों को नोटा (NOTA) का महत्त्व समझना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि हर वोट महत्त्वपूर्ण है।
5. उन्हें नैतिकता के साथ मतदान करने का महत्त्व समझना चाहिए।

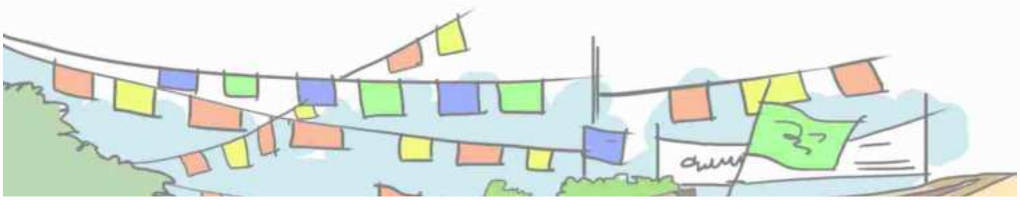

विषय सूची

1. परिचय....05
2. उद्देश्य....05
3. स्वरूप....06
4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति....06
5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व....06
6. संयोजक....07
7. आयोजन–स्थल....07
8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र....07
9. प्रस्तावित गतिविधियों का क्रम....07
10. गतिविधियाँ....08
11. सत्रों का स्वरूप....08
12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश....09
13. निर्देशों सहित गतिविधियाँ....10
    - I) चुनव पत्रिका 11
    - ii) निर्वाचित्र-फिल्म/स्क्रोल का प्रदर्शन....13
    - iii) पंजीकरण पर क्षेत्र-कार्य....15
    - iv) नोटा (NOTA) को जाने....18
    - v) स्टेप अप खेल....21
    - vi) राष्ट्रीय मतदाता दिवस की गतिविधि-चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता....26
14. गतिविधियों के लिए संसाधन....27
15. संक्षिप्त नाम और शब्दावली....35

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations Copyright © Election Commission of India

हर वोट महत्वपूर्ण है

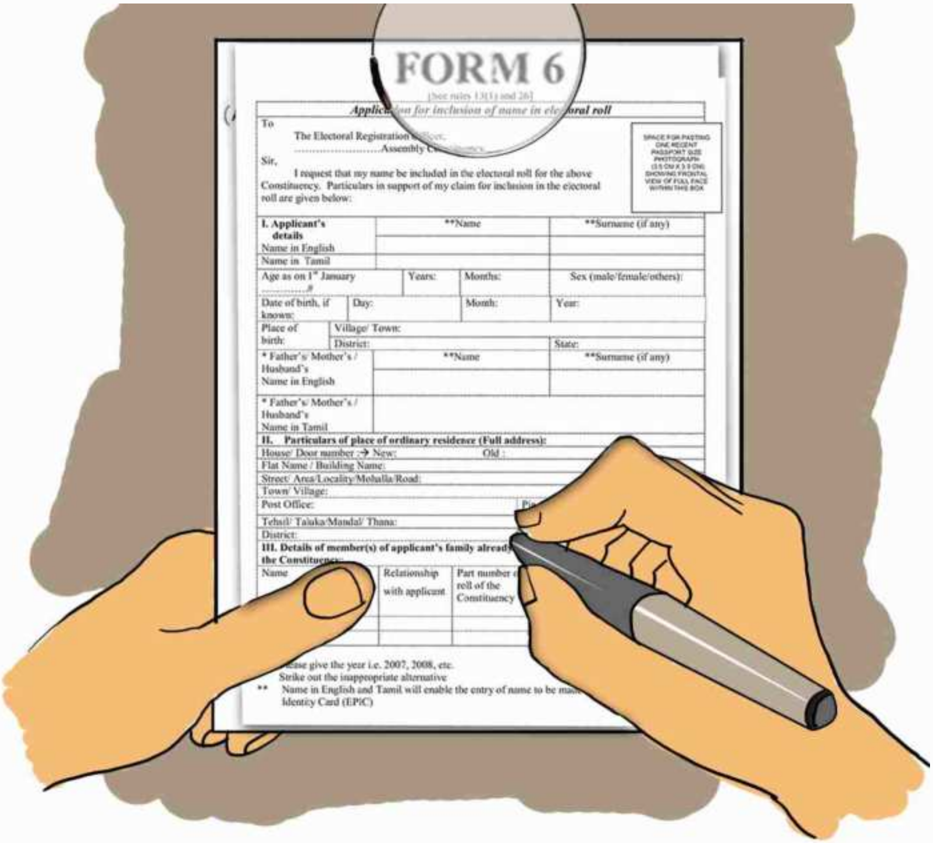
FORM 6
Application for inclusion of name in electoral roll
To
The Electoral Registration Officer,
Assembly Constituency
Sir,
I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:
I. Applicant's details
**Name
**Surname (if any)
Name in English
Name in Tamil
Age as on 1st January
Years:
Months:
Sex (male/female/others):
Date of birth, if known:
Day:
Month:
Year:
Place of birth:
Village/ Town:
District:
State:
* Father's/ Mother's / Husband's Name in English
* Father's/ Mother's / Husband's Name in Tamil
II. Particulars of place of ordinary residence (Full address):
House/ Door number :→ New:
Old :
Flat Name / Building Name:
Street/ Area/Locality/Mohalla/Road:
Town/ Village:
Post Office:
Tehsil/ Taluka/Mandal/ Thana:
District:
Name
Relationship with applicant
Strike out the inappropriate alternative
Identity Card (EPIC)

1. परिचय

हमारे देश में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनावी साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। यह क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को रोचक एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। निर्वाचन साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सारा काम अपक्षपाती और तटस्थ रहकर किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब देश भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य 14–17 वर्ष के भावी मतदाता हैं, जो 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लब– भविष्य के मतदाता कहा जाएगा।

कक्षा 9, 10, 11 व 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इसके प्रतिभागी और संयोजक कौन होंगे, यह कहाँ और कैसे संचालित किए जाएँगे और इनमें कौन सी गतिविधियाँ संचालित होंगी।

2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य-समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनावी प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना;

ii. प्रतिभागियों को ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचित कराना और उन्हें ई.वी.एम. की मजबूती और ई.वी.एम. का प्रयोग करके सम्पन्न होने वाली चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता के बारे में बताना;

iii. वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य-समूह की मदद करना, साथ ही, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ, सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें, इसके लिए उनकी क्षमता-वृद्धि करना;

v. जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएँ, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना;

vi. चुनावों में भागीदारी करने और सोच-समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना, साथ ही इस सिद्धान्त का पालन करने पर जोर देना कि 'हर वोट महत्त्वपूर्ण है' तथा 'कोई मतदाता न छूटे'।

3. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब हर कक्षा व वर्ग (सेक्शन) के लिए होगा। यद्यपि हर विद्यालय-श्रेणी के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब भिन्न होंगे और गतिविधियों का जो संग्रह होगा, वह खास तौर पर उस श्रेणी विशेष के लिए ही होगा, पर हर श्रेणी के विभिन्न वर्गों के लिए गतिविधियाँ एक जैसी होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब एक निश्चित कक्षा/सत्र में कक्षावार गतिविधियाँ संचालित करेगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य होंगे।

4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निर्वाचन साक्षरता क्लब को कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित समूह के माध्यम से चलाएँ, जिसमें हर वर्ग (सेक्शन) के चुने हुए प्रतिनिधि हों। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होगा, विद्यालय के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और देखरेख में व उनकी सलाह से निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का आयोजन करना।

विकल्प के रूप में, विद्यालय अपने शिक्षकों के माध्यम से ही गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं। वे कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे।

5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व

विद्यालय के मानविकी विभाग के एक या दो शिक्षक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे सम्बन्धित निर्वाचन साक्षरता क्लब के मार्गदर्शी के रूप में भी कार्य करेंगे। चुनावी दायित्व निभाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मुख्य दायित्व होंगे–

i. जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उससे समन्वयन करना। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्वाचन साक्षरता के संसाधन ऑन लाइन या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराए जाएँगे।

ii. विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने वाले शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट संसाधनों/उपकरणों/साधनों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।

iv. भावी मतदाताओं के कौशल विकास हेतु निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों का व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उपयोग करवाना।

v. विद्यालय के चुनावों को निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि के अनुसार मार्गदर्शन देना।

vi. नए संसाधनों का निर्माण करने का प्रयास करना और उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

vii. विद्यार्थियों/कार्यकारिणी समिति की सलाह से गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनाना।

viii. कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नामांकन की व्यवस्था करना, जब वे उसके लिए पात्र हो जाएँ।

नोट– **नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचन साक्षरता क्लब के कार्यकलापों में शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।**

6. संयोजक

हर कक्षा के लिए एक शिक्षक नियत होगा, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि संचालित करेगा। विकल्प के रूप में, शिक्षकों का एक समूह भी हो सकता है, जो विभिन्न कक्षाओं के निर्वाचन साक्षरता क्लबों की गतिविधियाँ संचालित करे। शिक्षकों का प्रशिक्षण नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में नोडल अधिकारी ही शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। महिला और पुरुष संयोजकों के बीच समुचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

7. आयोजन–स्थल

निर्वाचन साक्षरता क्लब की अधिकांश गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कक्षा का कक्ष ही आयोजन-स्थल होगा। पर कुछ गतिविधियाँ विद्यालय के सभागार (ऑडीटोरियम) या खेल के मैदान में आयोजित की जा सकती हैं।

8. चुनावी साक्षरता क्लब के सत्र

क्लब में गतिविधि आधारित सत्र होंगे, और कुछ गतिविधियाँ एक से अधिक निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए एक साथ आयोजित की जाएँगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग गतिविधियाँ होंगी, और इस कारण, उनके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित किए गए घंटे/सत्र कुल 6 से 8 घंटे तक के होंगे।

9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

नीचे गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम दिया गया है। निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ इसी क्रम में आयोजित की जाएँगी।

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा
अप्रैल	निर्वाचित्र–फिल्म प्रदर्शन (चुनावी साक्षरता क्लब के केवल पहले वर्ष में)	45 मिनट
मई-जून	पंजीकरण की गतिविधि	30 मिनट गतिविधि के बारे में
सितम्बर	नोटा (NOTA)	30 मिनट
अक्टूबर-नवम्बर	स्टेप अप	60 मिनट
जनवरी (एन.वी.डी.)	चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे + गृह कार्य (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

10. गतिविधियाँ

कक्षा 10 के लिए इस निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में 6 गतिविधियों और उन्हें संचालित करने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से चुनाव पत्रिका गतिविधि हर महीने आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्वाचन साक्षरता क्लब सहयोग करेगा। सभी गतिविधियों को आयोजित करना आवश्यक नहीं है। समय की उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

11. सत्रों का स्वरूप

हर एक निर्वाचन साक्षरता क्लब को सत्रों के नीचे दिए गए स्वरूप को अपनाने की सलाह दी जाती है–

सभा (असेम्बली)– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य जब अपने कार्यक्रम-स्थल पर इकट्ठे होंगे, तो एक-दूसरे का स्वागत व अभिवादन करेंगे। इसके बाद संयोजक 5–10 मिनट में पिछले सत्र में सीखी गई बातों और अनुभवों को दोहराएँगे।

<u>गतिविधि का संचालन</u>– संयोजक सत्र के लिए निश्चित की गई गतिविधि को संचालित करेंगे। उन्हें इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र समय से समाप्त हो जाए।

सभी गतिविधियों में फिर से याद दिलाने की 3–2–1 की उस विधि को अपनाना चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत गतिविधि विवरणों में व्याख्या की गई है।

<u>3–2–1 के आधार पर सारांश बताना और फिर से याद दिलाना</u>– सभी गतिविधियों के अंत में सारांश करने और फिर से याद दिलाने का यह तरीका अपनाना चाहिए। संयोजक निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे–

- 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ विद्यार्थी गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब समावेशी क्लब होगा, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाएगी।

- संयोजक उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनके प्रति क्लब के सदस्यों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे।
- यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ ऐसे स्थान पर हों, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके।
- अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठक में शामिल हो रहा है, जो सुन नहीं सकता, तो उसकी सुविधा के लिए इशारों की भाषा समझने वाले दुभाषिये का इन्तजाम करना चाहिए। (यह दुभाषिया विद्यार्थी का कोई साथी हो सकता है, जो उसके लिए पहले से यह काम कर रहा हो।)
- क्लब की किसी भी गतिविधि में दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

13. गतिविधियाँ (निर्देशों सहित)

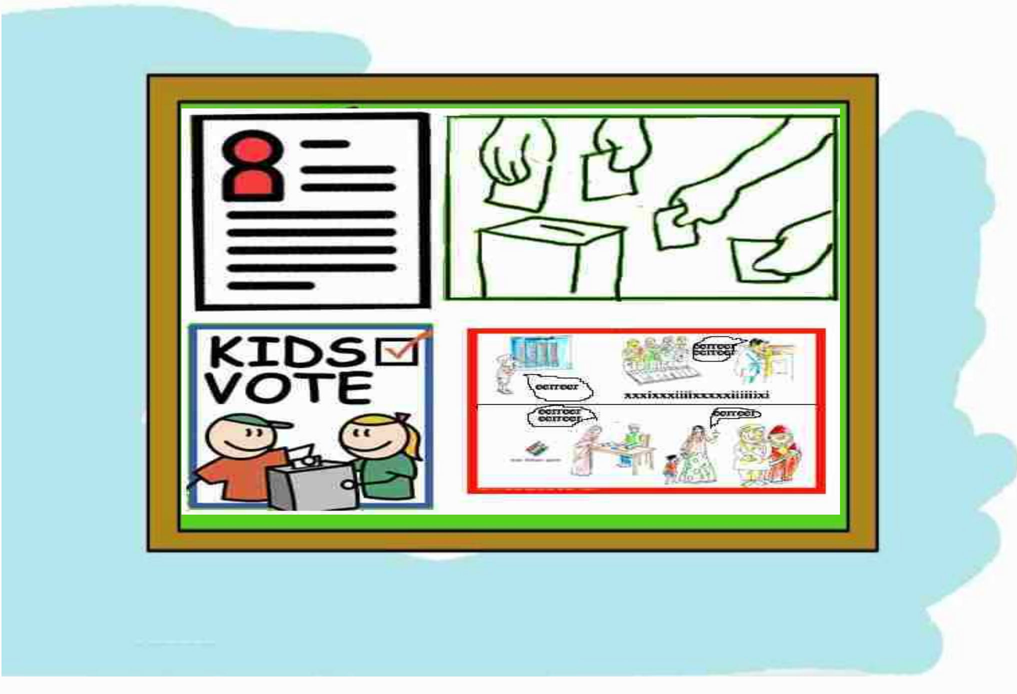

गतिविधि: चुनाव पत्रिका

रूपरेखा

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से प्रस्तुत करके लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए विद्यालय के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे **'निर्वाचन साक्षरता दीवार'** कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय-सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, अगर इजाजत मिले तो, रंगों से लिखी भी जा सकती है।

चुनाव पत्रिका को बनाने का प्रबन्ध कक्षा 9 के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा किया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थी चुनाव पत्रिका के लिए विषय-सामग्री तैयार करने में सहयोग करेंगे। सारी विषय-सामग्री एक मुख्य विषय (थीम) के अन्तर्गत होगी। चुनाव पत्रिका की विषय-सामग्री हर सप्ताह या हर पन्द्रह दिन में बदली जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थी कितनी विषय-सामग्री जुटा पाते हैं।

विद्यार्थी, चुनाव पत्रिका के लिए विषय-सामग्री तैयार करने में कक्षा 9 की मदद करेंगे।

दीवार पत्रिका के लिए मुख्य विषय (थीम)

नीचे दीवार पत्रिका के लिए मुख्य विषयों और उप विषयों की सूची दी गई है–

1. लोकतंत्र– लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है
   - वोट का मूल्य
3. समावेशी चुनाव : हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. पंजीकृत होना
   - 18 वर्ष – पात्रता की उम्र
   - मतदाता सूची
5. मतदाता वार्ड / मेरा इपिक– ई.पी.आई.सी. (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)
6. चुनाव कौन लड़ सकता है ?
   - पात्रता
   - उम्मीदवार बनने के विभिन्न चरण

7. सोच–समझकर व नैतिकता के साथ मतदान
   - चुनाव प्रचार अभियान में क्या करें, क्या न करें
   - आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवार के कदाचार की शिकायत कहाँ करें ?

8. ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वी.वी.पैट. (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल)
   - वोट की गोपनीयता
   - ई.वी.एम. / वी.वी.पैट. के माध्यम से होने वाले चुनावों में चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता

9. नोटा (NOTA)
   - नोटा (NOTA–इनमें से कोई नहीं) का इस्तेमाल कब करें
   - अपने उम्मीदवार के बारे में जरूरी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना

10. निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग / एन.वी.डी.

गतिविधिः निर्वाचित्र फिल्म शो / स्टोरी स्क्रोल का प्रदर्शन (कक्षा 10 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के लिए केवल पहले वर्ष में)

रूपरेखा

यह गतिविधि एक मनोरंजक फिल्म / स्टोरी स्क्रोल के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया और उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में बताती है। इसके बाद इसमें सम्बन्धित विषय पर अपनी बात रखने और सूचनाओं के प्रसार के लिए कॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है।

नोटः ***यह गतिविधि कक्षा 10 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के केवल पहले बैच के सदस्यों के लिए ही आयोजित की जाएगी।***

शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी –

i. जान सकेंगे कि मतदाता बनने की पात्रता की उम्र 18 वर्ष है।

ii. मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

iii. वोट के मूल्य को महसूस कर सकेंगे।

iv. बूथ लेवल ऑफीसर की भूमिका के बारे में जान सकेंगे, जो मतदाता से सम्पर्क करने का पहला सिरा है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराता है।

संसाधन

i. मस्ती दोस्ती मतदान (12 मिनट की ऐनीमेटेड लघु फिल्म)

ii. अभय और आभा (चित्रात्मक पुस्तक स्टोरी स्क्रोल)

iii. लोकतंत्र एक्सप्रेस (ऑडियो कहानी)

iv. पंजीकरण और मतदान पर फिलप चार्ट

नोटः अगर फिल्म दिखाना सम्भव नहीं है, तो वैकल्पिक संसाधन के रूप में चित्रात्मक पुस्तक, ऑडियो कहानी या फिलप चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आवश्यक सामग्री

i. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर

ii. हर विद्यार्थी के लिए नोटबुक और पेन

iii. चार्ट पेपर और बोल्ड मार्कर

अवधि : 45 मिनट

समयः अप्रैल का पहला सप्ताह

विधि

1. फिल्म दिखाने/फिलप चार्ट का प्रदर्शन करने से पहले संयोजक विद्यार्थियों के बीच थोड़ी देर निर्वाचन और उसमें भागीदारी पर अनौपचारिक विचार-विमर्श कराएँगे। इसका उद्देश्य होगा–विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण के विषय से परिचित कराना। विचार-विमर्श के बीच संयोजक इस विषय पर विद्यार्थियों के ज्ञान/जानकारी को परखेंगे।
2. संयोजक ये प्रश्न पूछकर विचार-विमर्श शुरू कर सकते हैं कि –
   - भारत के प्रधान मंत्री कौन हैं ? वह प्रधान मंत्री कैसे बने ?
   - लोकतंत्र क्या है ?
   - लोकतंत्र शासन का इतना लोकप्रिय प्रकार क्यों है?
   - लोकतंत्र में हर आवाज कैसे सुनी जाती है ? (चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा)
   - लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं ? (निर्वाचन)
   - हमारी आवाज सुनी जाए, इसके लिए कौन सा उपाय काम में लाया जाता है?(वोट)
   - क्या आप समझते हैं कि चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं ? आपका वोट महत्त्वपूर्ण क्यों है ?
3. अब संयोजक को 14–17 आयु-वर्ग के बारे में बात करनी चाहिए, जो भारत के भावी मतदाता हैं। संयोजक को इस बात पर खास ध्यान दिलाना चाहिए कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएँगे तो उनमें से हर एक के लिए मतदान करना कितना महत्त्वपूर्ण है।
4. इसके बाद संयोजक को निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि क्या वे मतदान के लिए तैयार हैं ?
5. संयोजक प्रश्न को अधूरा छोड़कर फिल्म दिखाना शुरू कर दें। जहाँ फिल्म नहीं दिखाई जा सकती, वहाँ संयोजक फिलप चार्ट/चित्रात्मक पुस्तक दिखाएँगे या ऑडियो कहानी सुनाएँगे।
6. इसके बाद कक्षा एक वृहद् विचार-विमर्श में शामिल होगी, जो वोट के महत्व पर केन्द्रित होगा। विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में हुए चुनावों में से उस पहले चुनाव की यादें ताजा करें, जो उन्होंने देखा हो। भले ही इसमें उनके माता–पिता/अभिभावकों/रिश्तेदारों/पड़ोसियों ने भाग लिया हो या न लिया हो।
7. इसके बाद विद्यार्थियों को चार्ट पेपर और रंगीन पेन्सिलें दी जाएँगी। उनसे कहा जाएगा कि वे एक पोस्टर बनाएँ, जिसमें या तो यह दर्शाएँ कि फिल्म से कौन सी खास बातें उन्होंने ग्रहण की हैं, या उसमें चुनाव और मतदान के महत्त्व के बारे में बताएँ।
8. फिर संयोजक सभी पोस्टरों को इकट्ठा करेंगे और एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। पोस्टरों को बहुत सँभालकर रखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टर भविष्य में निर्वाचन साक्षरता क्लब वाली जगह को सजाने के काम आएँगे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में काम आएँगे।
9. **3–2–1 के आधार पर** पृष्ठ 9 पर दिए गए तरीके से गतिविधि का सारांश बताएँ और उसे फिर से याद दिलाएँ।

गतिविधि : पंजीकरण पर क्षेत्र-कार्य (गर्मियों की छुट्टी के लिए गतिविधि)

रूपरेखा

पंजीकरण प्रक्रिया पर आधारित, क्षेत्र में की जाने वाली यह गतिविधि मतदाता शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए विद्यार्थियों के रास्ते को सुगम बनाती है। विद्यार्थी पहले तो मुख्य-मुख्य बातें सीखेंगे, जैसे– मतदाता सूची, पंजीकरण से सम्बन्धित विभिन्न फॉर्म, एन.वी. एस.पी. (nvsp.in) पोर्टल आदि, और उसके बाद अपने नजदीकी पड़ोसियों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देंगे।

नोट – यह गतिविधि गर्मियों की छुट्टी में विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. जान सकेंगे कि विधान सभा चुनाव-क्षेत्र क्या होता है।

ii. जान सकेंगे कि निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) क्या है। साथ ही, मतदाता सूची में अपना नाम जाँचने के महत्त्व को भी समझ सकेंगे।

iii. नामांकन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 6 के बारे में जान सकेंगे और इसे कैसे भरना है, यह सीख सकेंगे।

iv. मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में संशोधन/सुधार करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के बारे में जान सकेंगे।

v. अपने चुनाव-क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफीसर के बारे में जान सकेंगे।

vi. पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एन. वी. एस. पी. पोर्टल (nvsp.in) के बारे में जान सकेंगे।

vii. यह समझ सकेंगे कि हर मतदाता को वोट देना चाहिए, और सभी को पंजीकृत होने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

संसाधन

i. क्षेत्र की मतदाता सूची

ii. सामान्य मतदाता मार्गदर्शिका

iii. गैर पंजीकृत पात्र लोगों का विवरण रखने के लिए प्रपत्र

iv. प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (संसाधनों वाले खण्ड में दिए गए हैं)

अवधि : गतिविधि के बारे में बताना (30 मिनट)

गतिविधि सप्ताह के अन्तिम दिनों/अवकाश के दिन/छुट्टियों में आयोजित की जाएगी। गतिविधि के अन्तर्गत किए गए काम को जमा करने पर उसे ग्रेड दिया जा सकता है और विद्यार्थी क्रेडिट अंक प्राप्त कर सकते हैं।

समय : मई–जून

तैयारी

गतिविधि के बारे में बताने से पहले संयोजक सामान्य मतदाता मार्गदर्शिका का अध्ययन कर लें।

विधि

1. मतदाता पंजीकरण के विषय पर विद्यार्थियों को फिर से लाने के उद्देश्य से संयोजक चुनाव और उसमें भागीदारी के बारे में विचार-विमर्श कराएँगे। विधान सभा चुनाव-क्षेत्र की अवधारणा को दोहराया जाएगा। इस बारे में पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बताया जा चुका है। विचार-विमर्श में नीचे लिखे बिन्दु जोड़े जा सकते हैं–
   - विधान सभा चुनाव-क्षेत्र और मतदान केन्द्र
   - मतदाताओं के प्रकार– सामान्य, सेवारत, विदेशों में रहने वाले, और उनकी पात्रता
   - विभिन्न फॉर्म – 6, 6ए, 7, 8, 2, 2ए, 3
   - ऑन लाइन पंजीकरण का पोर्टल (एन.वी.एस.पी.), सी.ई.ओ./डी.ई.ओ. की वेबसाइट
2. संयोजक विद्यार्थियों को कार्य के बारे में बताएँगे–

   क) सबसे पहले विद्यार्थी अपने राज्य के सी.ई.ओ. की वेबसाइट से अपने क्षेत्र की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) डाउनलोड करेंगे।

   ख) विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में अपने पड़ोसियों के पंजीकरण की स्थिति की जानकारी इकट्ठा करेंगे। यह जानकारी एक प्रपत्र पर ली जाएगी, जो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी ऐसे पात्र सदस्य हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, विद्यार्थी पंजीकरण की जानकारी देकर उनका सहयोग करेंगे, और, अगर सम्भव हो तो www.nvsp.in पर उनका ऑनलाइन पंजीकरण कराने में मदद करेंगे।

   ग) यदि घर में भावी मतदाता (14 से 17 वर्ष के) हैं तो विद्यार्थी उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे भविष्य में अपना पंजीकरण जरूर करा लें। साथ ही, उन्हें यह जानकारी भी देंगे कि वे घर के पात्र सदस्यों का पंजीकरण कराने और मतदान करने में सहयोग करें।

   घ) विद्यार्थी इस कार्य को सबसे पहले अपने घर में करेंगे और उसके बाद पड़ोस के दस घरों में। जहाँ सम्भव हो, वे पंजीकरण कराने में पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं।

3. पड़ोसी विद्यार्थियों से पंजीकरण और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सारी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उन्हें भी सामान्य मतदाता मार्गदर्शिका का अध्ययन कर लेना चाहिए।
4. संयोजक विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे सबसे पहले अपने चुनाव क्षेत्र का और अपने मतदान केन्द्र का नाम www.nvsp.in पोर्टल पर ढूँढ़ लें। हर विद्यार्थी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) और बूथ लेवल ऑफीसर (बी.एल.ओ.) का नाम और उनसे सम्पर्क करने का विवरण भी ढूँढ़ेगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) की वेबसाइट पर जाना चाहिए। वे डी.ई.ओ./सी.ई.ओ. की वेबसाइट पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देख सकते हैं।
5. संयोजक को कक्षा के अन्दर इसका प्रदर्शन करना चाहिए कि विद्यार्थियों को क्षेत्र-कार्य कैसे करना है, और जिन घरों में वे जाएँगे, वहाँ लोगों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है।
6. विद्यार्थी अपने अनुभवों को निबन्ध/लेख के रूप में संक्षेप में लिखकर देंगे। उसके साथ इकट्ठा किया हुआ विवरण/आँकड़े भी जमा करेंगे।

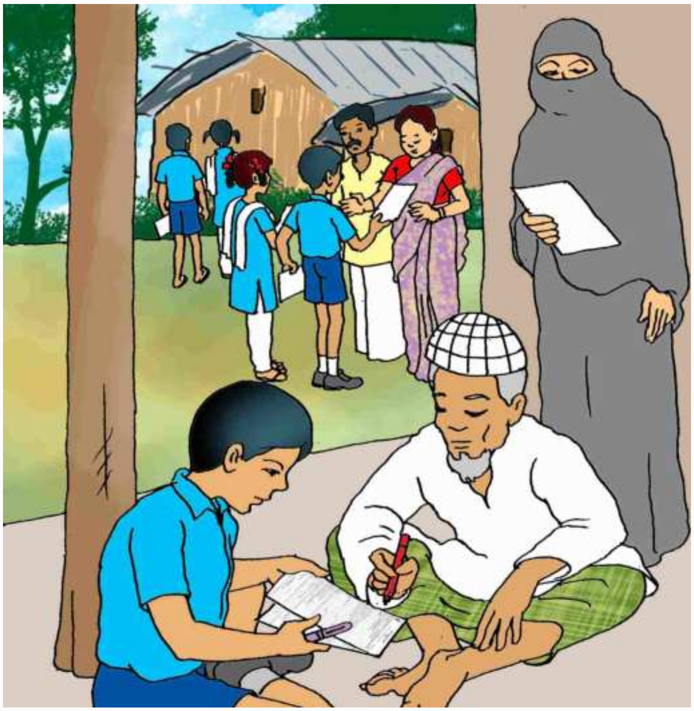

गतिविधि : नोटा (NOTA) फ्लैश कार्ड / खेल चर्चा / विचार-विमर्श

रूपरेखा

नोटा (NOTA) का अर्थ है– इनमें से कोई नहीं। अगर कोई मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को वोट नहीं देना चाहता, तब भी वह नोटा (NOTA) के विकल्प को चुनकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह गतिविधि विद्यार्थियों को नोटा (NOTA) की अवधारणा से परिचित कराती है। साथ ही, यह संदेश भी देती है कि आप क्या नहीं चाहते, यह जानना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना यह जानना कि आप क्या चाहते हैं।

शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. नोटा (NOTA) के महत्त्व को समझ सकेंगे।

ii. यह समझ सकेंगे कि हर वोट का अपना मूल्य होता है–भले ही वह नोटा (NOTA) हो।

संसाधन

I. मार्गदर्शिका के अन्त में संसाधन खण्ड में दिए गए फ्लैश कार्ड (पृष्ठ सं 29 पर)

ii. विचार–विमर्श को शुरू करने व आगे बढ़ाने के लिए सुगमकर्ता के लिए चर्चा के बिन्दु ('विधि' के अन्तर्गत बिन्दु सं. 4, 5 और 8)

अवधि : 25 से 30 मिनट

समय : सितम्बर

गतिविधि का विवरण

हर फ्लैश कार्ड में एक प्रश्न है और उसके चार सम्भावित विकल्प हैं। जिनमें से तीन विकल्प बेतुके और हास्यास्पद हैं। आखिरी विकल्प नोटा (NOTA) है, यानी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों से सही उत्तर चुनने को कहा जाता है।

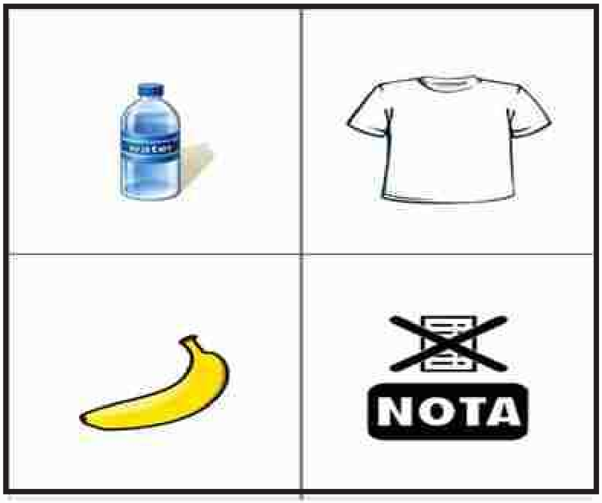

विधि

1. संयोजक विद्यार्थियों को सीधे–सीधे पहला फ्लैश कार्ड दिखाएँगे। विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे एक साथ उत्तर दें। हर प्रश्न के पहले तीन उत्तर बेतुके और हास्यास्पद हैं और आखिरी उत्तर है– नोटा (NOTA), यानी, इनमें से कोई नहीं।

2. ये प्रश्न इस तरह बनाए गए हैं कि विद्यार्थी के पास सही उत्तर के रूप में हर बार नोटा (NOTA) के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। जैस–जैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता रहता है, वैसे–वैसे बेतुकेपन का स्तर भी बढ़ता रहता है।

3. सभी फ्लैश कार्ड (कुल 4) पूरे होने के बाद खेल पूरा हो जाएगा। अब संयोजक नोटा (NOTA) का अर्थ बताएँगे और यह भी बताएँगे कि किस तरह 2013 से इसे ई.वी.एम. पर एक विकल्प के रूप में अपनाया गया। (अगर विद्यार्थी ई.वी.एम. से परिचित नहीं हैं, तो संयोजक विद्यार्थियों को इसके बारे में भी बताएँगे।)

4. इसके बाद संयोजक अन्तिम चक्र की बात करते हुए मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे– ''आप किसे वोट देंगे ?''

   इसके उत्तर में ये विकल्प शामिल हैं–

   क) एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को, जो लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत दे रहा हो।

   ख) एक आलसी राजनीतिज्ञ को, जो अयोग्य है।

ग) एक ऐसे राजनीतिज्ञ को, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

घ) इनमें से कोई नहीं (NOTA)

5. इसके बाद संयोजक कक्षा में एक समूह-चर्चा या विचार-विमर्श शुरू कराएँगे। अपनी टीमें बनाने और बिन्दु तैयार करने के लिए वे विद्यार्थियों को 15 मिनट का समय देंगे। समूह-चर्चा / विचार-विमर्श इनमें से किसी भी बिन्दु पर हो सकता है–
   - क्या आप रोजमर्रा लिए जाने वाले अपने जीवन के निर्णयों के लिए नोटा का विकल्प रख सकते हैं ?
   - आप क्या नहीं चाहते, क्या यह जानना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना यह जानना कि आप क्या चाहते हैं ?
   - आप ऐसा क्यों मानते हैं कि नोटा (NOTA) महत्त्वपूर्ण है ?
6. संयोजक को इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि नोटा (NOTA) भी मतदाता के पास एक विकल्प है और नोटा (NOTA) को वोट देने का मतलब है कि मतदाता चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर रहा है। इससे राजनीतिक दलों को अगले चुनावों में अच्छे व योग्य उम्मीदवार खड़े करने की प्रेरणा मिलेगी।
7. संयोजक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा के दौरान उनके विचार किसी दल या राजनीतिक व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध में न हों।
8. सोच–समझकर और नैतिकता के साथ वोट देने के बारे में बताने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। संयोजक को विद्यार्थियों से यह जानना चाहिए कि उनकी नजर में कौन योग्य उम्मीदवार है और कौन अयोग्य।
9. उनके उत्तर मिलने के बाद संयोजक को इन विषयों पर बात करनी चाहिए–
   - उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का महत्त्व।
   - ध्यान से देखना कि उनका चुनाव घोषणा पत्र क्या है।
   - उम्मीदवारों से किसी भी तरह की रिश्वत लेने से बचना।
   - इस तरह के अयोग्य उम्मीदवारों का समर्थन करने से बचना।
10. संयोजक को सकारात्मक बात कहकर सत्र का समापन करना चाहिए। यह सकारात्मक बात इन विषयों पर हो सकती है– कैसे हर वोट का अपना महत्त्व होता है, और कैसे सोच–समझकर योग्य उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया एक–एक वोट आगे चलकर देश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
11. **3–2–1 के आधार पर** सरांश करने और गतिविधि को फिर से याद करने की प्रक्रिया को दोहाराएँ। यह प्रक्रिया पृष्ठ 9 पर दी गई है।

गतिविधि : स्टेप अप

रूपरेखा

स्टेप अप बिना सीधे सम्पर्क के आपसी संवाद का एक खेल है, जिसका उद्‌देश्य है– उन चुनौतियों के बारे में समझ पैदा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, जिनका सेवाओं तक पहुँचने के लिए समाज के कुछ वर्गों को सामना करना पड़ता है। साथ ही, विद्यार्थियों को उनका समाधान देने के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों को अलग-अलग भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं, उन्हें इस भूमिका पर आधारित साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर 'हाँ'/'नहीं' में हो। इस खेल का उद्‌देश्य प्रतिभागियों को स्वयं अनुभव करके सीखने का मौका देना है, क्योंकि वे जिस भूमिका को निभा रहे हैं, उसकी समस्याओं को अपने मन में अंकित कर लेंगे। फिर उस समस्या से निपटने का अनुभव प्राप्त कर लेंगे। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षार्थियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि समाज के कुछ वर्ग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, और यह भी जान सकेंगे कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें, इसके लिए उनकी और अधिक मदद की जानी चाहिए।

शिक्षण परिणाम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. उन चुनौतियों के बारे में जान सकेंगे, जिनका सामना अपनी परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों को करना पड़ता है।

ii. यह महसूस कर सकेंगे कि हर वोट का मूल्य बराबर है।

iii. यह समझ सकेंगे कि मतदान करना हर व्यक्ति का अधिकार है।

iv. मतदान केन्द्र पर मतदान को सुगम बनाने के लिए जो प्रबन्ध किए जाते हैं, उनके बारे में जान सकेंगे।

संसाधन

i. भूमिकाओं के कार्ड (पृष्ठ सं0 32 पर)

ii. भूमिका मिलान शीट (पृष्ठ सं0 34 पर)

iii. एन.एल.एम.ए. फ्लैश कार्ड

iv. प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न– संदर्भ के लिए

आवश्यक सामग्री

I. रेखा बनाने के लिए चॉक

ii. पेन और कागज/नोट बुक

अवधि: 60 मिनट

समय: अक्टूबर या नवम्बर में

विधि

1. संयोजक 6 विद्यार्थी स्वयंसेवकों को बुलाएँगे और उनसे सामने रखे डिब्बे में से विद्यार्थी से कोई भी फ्लैश कार्ड निकालने को कहेंगे। जिस विद्यार्थी के फ्लैश कार्ड में जो भी अंकित होगा, उसे वही भूमिका निभानी होगी।
2. फ्लैश कार्ड में एक तरफ किसी चरित्र का चित्र होगा और दूसरी तरफ उस चरित्र भूमिका का विवरण। यह पहले से ही तय है।
3. संयोजक विद्यार्थियों से पूछेंगे कि क्या उन्होंने अपने चरित्र के बारे में समझ लिया है? यदि कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाया है तो संयोजक संक्षेप में उसके बारे में बताएंगे।
4. जमीन पर चॉक से एक सीधी रेखा खींची जाएगी और विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि खेल शुरू करने के लिए एक सीध में खड़े हो जाएँ। **संयोजक को यह जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए कि खेल में न तो कोई जीतेगा, न हारेगा।**
5. एक या दो विद्यार्थियों को संयोजक अपने सहयोगी के रूप में बुला लेंगे। सहयोगी संसाधन में दी गई प्रश्नों की सूची में से विद्यार्थियों को 9 प्रश्न पूछेगा, जिसका उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में ही होगा। विद्यार्थी अगर चाहें तो उत्तर में 'पता नहीं' भी कह सकते हैं।
6. हर विद्यार्थी अपने को वही चरित्र मानेगा/मानेगी, जो फ्लैश कार्ड में दिया गया है और प्रश्न का वैसा ही उत्तर देगा/देगी, जैसा, उसके अनुसार, वह चरित्र देता।
7. विद्यार्थी हर 'हाँ' वाले उत्तर के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएँगे और 'नहीं' वाले उत्तर के लिए एक कदम पीछे जाएँगे। अगर कोई विद्यार्थी 'पता नहीं' उत्तर देता है, तो वह अपनी ही जगह पर खड़ा रहेगा/रहेगी।
8. सहयोगी खेलने वाले हर विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों को चरित्र मिलान शीट पर अंकित कर देगा। मिलान शीट संसाधन में दी गई है।
9. प्रश्न पूरे हो जाने पर संयोजक का/की सहयोगी विद्यार्थी सबसे आगे वाले विद्यार्थी के पीछे समाप्ति–रेखा बना देगा/देगी। समाप्ति–रेखा मतदान केन्द्र को दर्शाती है, और जो भी यहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी तर्जनी उँगली पर परमानेण्ट मार्कर से निशान लगा दिया जाता है।

10. प्रश्न और उत्तर सत्र के अन्त में विद्यार्थी अलग–अलग स्तरों पर खड़े होंगे। ये अलग–अलग स्तर उनके द्वारा निभाए गए चरित्रों के उत्तरों के अनुसार होंगे।

11. अब संयोजक भूमिका निभाने वाले हर विद्यार्थी से पूछेंगे कि उनके कदम पीछे होने का कारण क्या था। संयोजक उनके द्वारा निभाए गए चरित्रों की उनके अपने मिलते–जुलते परिदृश्यों से तुलना कर सकते हैं। तब विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे इन चुनौतियों को पार करने का कोई हल सुझाएँ।

12. इसके बाद सभी विद्यार्थी, विभिन्न चरित्रों की भूमिका निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा बताई गई चुनौतियों/बाधाओं के हल पर चर्चा करेंगे।

13. इन्हें संयोजक के सहयोगी ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे।

14. तब संयोजक हर वर्ग (विद्यार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के अनुसार) के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। संयोजक को हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए।

संयोजक के लिए

संयोजक को **इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि मतदान संविधान द्वारा दिए गए सबसे अधिक सशक्त अधिकारों में से एक है, और सभी को इस अधिकार को उपयोग करने के लिए, जहाँ जरूरत हो, दी गई सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए**। मतदान का अधिकार भारत के हर नागरिक को दिया गया है। हर वोट का मूल्य बराबर है। (खेल की शुरुआत में जब सभी खिलाड़ी एक लाइन में खड़े होते हैं, यही दर्शाता है।) **अगर मतदान में कोई बाधा आ रही है तो लोगों को उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए**।

प्रश्न

I. क्या आप कम से कम कोई एक भाषा पढ़ सकते हैं?

ii. क्या आपके पास कोई पहचान पत्र, जैसे– राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि, है?

iii. क्या आपके पास मतदाता पहचान पत्र है/ क्या आपका नाम मतदाता सूची में हैं?

iv. क्या आप इस समय उसी चुनाव क्षेत्र में हैं, जिसमें आप मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं?

v. क्या आप अपना एक दिन का काम छोड़कर वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने को तैयार हैं?

vi. क्या आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के बिना मतदाता सूची में अपना नाम ढूँढ़ सकते हैं और उसकी जाँच कर सकते हैं?

vii. क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, जिससे चुनावों से सम्बन्धित जानकारी लेने के लिए सम्पर्क करना चाहिए?

viii. क्या आप बिना किसी की मदद लिए या बिना डर के (सुरक्षा को लेकर डर या किसी अन्य कारण से डर, जैसे – घर के मुखिया से इजाजत न मिलना) मतदान केन्द्र पर पहुँच सकते हैं?

ix. क्या आप स्वतंत्र रूप से यह निर्णय ले सकते हैं कि आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे?

संयोजक पंजीकरण और मतदान पर फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके निर्वाचन आयोग द्वारा मतपत्र को मतदाता तक पहुँचाने के लिए जो सुविधाएँ दी गई हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे–

- मतपत्र/ई.वी.एम. पर चुनाव चिह्न भी दिए जाते हैं, ताकि असाक्षर मतदाता भी आसानी से वोट दे सकें। वे उम्मीदवार का चुनाव चिह्न पहचानकर वोट दे सकते हैं। अब तो मतपत्र/ई.वी.एम. पर उम्मीदवारों के फोटो भी दिए जाते हैं।
- जो प्ढ़ नहीं सकते, वे पंजीकरण के लिए बी.एल.ओ. की मदद ले सकते हैं।
- मतदान केन्द्र पर कई तरह के पहचान पत्र स्वीकार किए जाते हैं, और इन पहचान पत्रों की सूची का चुनावों से पहले प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- मतदाता के पंजीकरण के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में कई अभिलेख स्वीकार किए जाते हैं, जैसे– जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स या आधार कार्ड।
- पंजीकरण के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, और गाँवों में गाँव के किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किए जाने वाले अन्य अभिलेख हैं– पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल या बैंक की पासबुक।
- मतदान के दिन सवेतन छुट्टी मिलती है, और यह व्यवस्था सभी नियोक्ताओं (जिनके यहाँ लोग काम करते हैं) के लिए जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस से पहले एक आदेश भी जारी किया जाता है।
- किसी भी मतदाता का एक ही समय में दो अलग–अलग चुनाव क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं हो सकता।
- अगर कोई मतदाता अपना पहला रहने का स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह चला

गया है, तो वह फॉर्म 6 भरकर अपने नए चुनाव क्षेत्र में अपना पंजीकरण करवा सकता/सकती है। उसे अपने पुराने चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपना नाम कटवाने के लिए एक घोषणा पत्र भी भरना होगा। यह घोषणा पत्र फॉर्म 6 के साथ ही जुड़ा होता है।

- नए चुनाव क्षेत्र में आने वाले ऐसे लोगों के लिए एक और विकल्प भी है कि वे मतदान के दिन अपने पुराने चुनाव क्षेत्र में जाकर वहाँ वोट डाल दें।
- **मतदान केन्द्रों** को इस तरह बनाया जाता है कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े।
- किसी भी तरह की सहायता के लिए राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है। इसका फोन नं0 1950 है।
- बूथ लेवल ऑफीसर पंजीकरण के लिए निर्वाचक की हर स्तर पर सहायता करेंगे।
- बूथ लेवल ऑफीसर, डी.ई.ओ., ई.आर.ओ., सी.ई.ओ. आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नं. (टोल फ्री फोन नम्बर) जारी किए गए हैं। इन नम्बरों पर फोन करके कोई भी सहायता प्राप्त कर सकता है।
- डी.ई.ओ. और सी.ई.ओ. की वेबसाइट से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मतदान केन्द्र कहाँ पर स्थित है। यह सुविधा गूगल मैप्स के माध्यम से मिलती है।
- मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल से अन्य सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं व दूसरी जानकारियाँ भी ले सकते हैं।
- मतदाता सूची अब डी.ई.ओ., सी.ई.ओ. और साथ ही, एन.वी.एस.पी. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है।
- मतदाता परची सभी निर्वाचकों को मतदान की तिथि से 2–3 दिन पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इस परची से मतदान केन्द्र की सूचना तो मिलती ही है, यह मतदान के समय पहचान के प्रमाण के रूप में भी स्वीकार की जाती है।
- मतदान केन्द्र पर रैम्प, स्वयंसेवक और व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है, और दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों को मतदान आदि के समय प्राथमिकता दी जाती है।
- तनावग्रस्त/संवेदनशील क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किए जाते हैं, ताकि सभी मतदाता सुरक्षित वातावरण में मतदान कर सकें। इसके लिए सुरक्षा बलों, जैसे– सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. की मदद ली जाती है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए गतिविधिः चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता चुनावों और प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित विषयों पर होगी। विषयों के कुछ उदाहरण हैं:

- हर वोट महत्त्वपूर्ण है
- कोई मतदाता न छूटे
- मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिकतम भागीदारी
- सोच-समझकर और नैतिकता के साथ मतदान
- सबके लिए सुलभ चुनाव

14. गतिविधियों के लिए संसाधन

पंजीकरण पर क्षेत्र-कार्य : सूचनाएँ इकट्ठा करने का प्रपत्र

क्र. सं.	पता	परिवार में कुल पात्र सदस्य	परिवार में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सदस्य की संखया	पंजीकृत सदस्यों में से कितने सदस्यों के पास वोटर आईडी है	पंजीकृत सदस्यों में से कितने बिना वोटर आईडी के हैं	पात्र, पर अपंजीकृत सदस्य	14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

नोटा को जानें : फ्लैश कार्ड

दरी

ड्रम

इनमें से क्या परिवहन का साधन है?

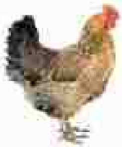

मुर्गी

NOTA

पत्थर

कुर्सी

इनमें से कौन सी चीज खाने के लिए अच्छी है?

पंख

NOTA

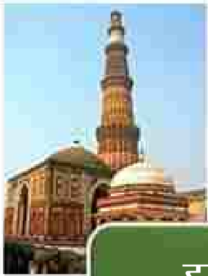

कुतुब मीनार

ताजमहल

इनमें से कौन सा स्मारक भारत में नहीं है?

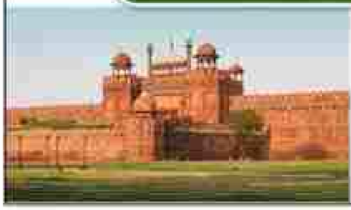

लालकिला

NOTA

भ्रष्ट राजनेता

अपराधी राजनेता

इनमें से आप किसे वोट देते हैं?

आलसी राजनेता

NOTA

नोटा (NOTA)

आर.ओ. हैण्ड बुक से

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय व आदेश के अनुपालन में आयोग ई.वी.एम./मत पत्रों में नोटा (NOTA) विकल्प देने के लिए निम्नलिखित निर्देश देता है–

मतपत्र में आखिरी उम्मीदवार के नाम व विवरण वाले पैनल के बाद एक पैनल और होगा। इसमें 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) लिखा होगा। यह विकल्प उन मतदाताओं की सुविधा के लिए होगा, जो ऊपर दिए गए उम्मीदवारों में से किसी को वोट नहीं देना चाहते। मतपत्र पर इस विकल्प के सामने नोटा का चिह्न बना होगा।

सूची में उम्मीदवारों की सूची उनके वैधानिक नामों की वैधानिकता को वर्णमाला के क्रम में आयोग दवारा निर्धारित की हुई भाषा में व्यवस्थ्ति होनी चाहिए।

अगर 16 उम्मीदवार चुनाव में हैं, तो पहली मतदान यूनिट के साथ 'इनमें से कोई नहीं' के पैनल के लिए एक और यूनिट जोड़ दी जाएगी।

इस तरह अगर एक से अधिक मतदान यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं, तो 'इनमें से कोई नहीं' वाला पैनल सबसे अन्त में होगा– अन्तिम उम्मीदवार वाले पैनल के बाद।

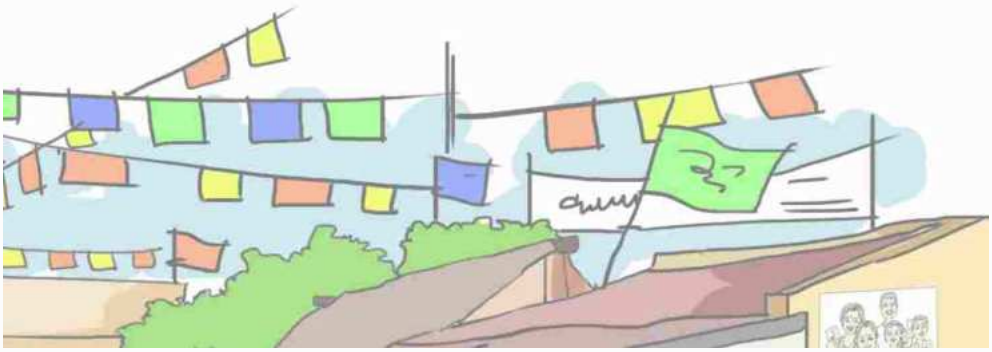

आगे बढ़ना

झारखण्ड का रहने वाला प्रवासी पुरुष श्रमिक, जो दिल्ली में काम कर रहा है। उम्र 25 वर्ष, विवाहित, पत्नी और 2 साल का बच्चा उसके साथ रहते हैं। कक्षा आठवीं तक पढ़ा है।

सियाचिन में तैनात उत्तराखण्ड का रहने वाला सेना का जवान। उम्र 24 वर्ष। विवाहित। पत्नी उत्तराखण्ड में घर में रहती है। शिक्षित।

चण्डीगढ़ में 18 वर्ष का नौजवान। कॉलेज में पढ़ता है। अविवाहित।

दिल्ली में रहने वाली महिला, जो व्हील चेयर पर चल पाती है। उम्र 47 वर्ष। शिक्षित (स्नातक) है। बेटे और बहू के साथ रहती है।

ओडिशा के गाँव में एक महिला। उम्र 28 वर्ष। चार वर्ष और 9 महीने के दो बच्चे। अशिक्षित। कृषि मजदूर के रूप में काम करती है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाला एक नौजवान। उम्र 22 वर्ष। अविवाहित। कक्षा 9 तक पढ़ाई की। गाँव के सरकारी विद्यालय में कार्यरत।

उदाहरणः

कृष्णा को, जो एक दिव्यांग महिला है, और व्हील चेयर पर ही चल-फिर सकती है, इन प्रश्नों पर दो कदम पीछे जाना पड़ेगा–

- क्या आप अकेले, बिना किसी की मदद के मतदान केन्द्र तक जा सकती हैं ?
- क्या आप बी.एल.ओ. या किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद के बिना मतदाता सूची में अपना नाम ढूँढ़ सकती हैं और उसकी जाँच कर सकती हैं ?

उनके अनुभवों को इस तरह के उत्तरों से अंकित किया जा सकता है– मैं बिना व्हील चेयर के चल-फिर नहीं सकती, इसलिए मेरे लिए मतदान केन्द्र तक पहुँचना सम्भव नहीं है। इसके अलावा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जाँच सकती।

इसके बाद संयोजक उन सुविधाओं के बारे में बताएँगे, जो आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे– मतदान केन्द्र पर रैम्प, स्वयंसेवक और व्हील चेयर, मतदान केन्द्र को निचली मंजिल पर बनाना, मतदान आदि के दौरान दिव्यांगों को प्राथमिकता, मोबाइल फोन, एन.वी.एस,पी. आदि के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम की जाँच करने की सुविधा।

चरित्र मिलान शीट

संयोजक का सहयोगी इस चरित्र मिलान शीट में उत्तर अंकित करेगा। अगर कोई चरित्र प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में देता है, और एक कदम आगे बढ़ता है तो सहयोगी इस शीट में (+) का निशान अंकित करेगा। अगर कोई चरित्र 'नहीं' में उत्तर देता है, और एक कदम पीछे जाता है तो (–) का निशान अंकित किया जाएगा। अगर कोई चरित्र 'पता नहीं' उत्तर देता है, और अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है तो (0) का निशान अंकित किया जाएगा।

प्रश्न संख्या	ओडिशा की ग्रामीण महिला	सेना का जवान	कालेज का नौजवान छात्र	प्रवासी मजदूर	दिव्यांग महिला	छत्तीसगढ़ का नौजवान
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

संक्षिप्त नाम और शब्दावली

1. **आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.)**– यह विभिन्न प्रकार के दिशा–निर्देश हैं, जो चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आचार–व्यवहार से सम्बन्धित हैं। ये दिशा–निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मुख्यतया भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केन्द्रों, चुनाव घोषणा पत्रों, जुलूसों और सामान्य आचार–व्यहार के सम्बन्ध में हैं। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किए जाने के साथ ही लागू हो जाती है। इसका उद्देश्य है– स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।

2. **इपिक : इलेक्टर्स फोटो आइडेण्टिटी कार्ड (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)**– यह कार्ड निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र मतदान के समय उस निर्वाचक की पहचान करने के काम आता है।

3. **ई.आर.ओ. : इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी)**– चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में मनोनीत/नामित करता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत होता है।

4. **ई.वी.एम. : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन**– ई.वी.एम. एक मशीन है, जो चुनाव के दौरान निर्वाचकों द्वारा वोट दिए जाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें दो इकाइयाँ होती हैं– एक नियंत्रण इकाई (कण्ट्रोल यूनिट) और एक मतपत्र इकाई (बैलटिंग यूनिट)। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई का मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा। इसके बाद मतदाता मतपत्र इकाई पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार और चुनाव चिह्न के सामने लगे नीले बटन को दबाकर अपना वोट दे सकता है।

5. **एन.वी.एस.पी. : नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (www.nvsp.in)**– यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है, जो नागरिकों और निर्वाचन से जुड़े

अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से सम्बन्धित कुछ ई–सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

6. **एन.वी.डी. : नेशनल वोटर्स डे (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)**– यह दिवस मतदाताओं, विशेष रूप से युवा मतदाताओं, का नामांकन बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दिनांक 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है।

7. **डी.ई.ओ. : जिला चुनाव अधिकारी**– भारत चुनाव आयोग सम्बन्धित जिला प्रशासन के मुखिया (कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में मनोनीत करता है। ये मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में काम करते हैं। जिला चुनाव अधिकारी जिले या अपने कार्य–क्षेत्र के अन्तर्गत संसद, विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के काम की देखरेख करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास मतदान केन्द्र उपलब्ध कराने, मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित कराने और चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का दायित्व होता है।

8. **चुनाव**– निर्णय लेने की एक औपचारिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा लोग अपने जन–प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

9. **चुनाव–क्षेत्र**– वह क्षेत्र, जिसके मतदाता विधानसभा/संसद के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

10. **दिव्यांग**– ऐसे निर्वाचकों का समूह, जो किसी न किसी शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हैं और, इस कारण, उन्हें चुनावों के समय विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है।

11. **निर्वाचक**– एक पंजीकृत व्यक्ति, जो चुनावों में वोट देने के लिए पात्र है।

12. **निर्वाचक नामावली**– निर्वाचक नामावली वह सूची है, जिसमें किसी चुनाव–क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं, जो निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं। सामान्यतया इसे 'मतदाता सूची' कहा जाता है। उपयुक्त प्रबन्ध–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को कई भागों में बाँटा जाता है, जिनमें अलग–अलग मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में आने वाले निर्वाचकों का विवरण दर्ज रहता है।

13. **निर्वाचन प्रक्रिया**– लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन के लिए जो विभिन्न कार्यकलाप मतदाताओं, चुनाव से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, उम्मीदवारों,

राजनीतिक दलों व अन्य सहभागियों द्वारा किए जाते हैं।

14. **निर्वाचन में भागीदारी–** चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों में स्वयं को शामिल करना – एक मतदाता के रूप में, चुनाव के अधिकारी/कर्मचारी के रूप में, उम्मीदवार, राजनीतिक दल के रूप में या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार में किसी अन्य सहभागी के रूप में।

15. **नोटा (NOTA) : इनमें से कोई नहीं–** यह विकल्प अक्टूबर 2013 से अपनाया जाने लगा है। सभी ई.वी.एम. और मतपत्रों पर यह विकल्प होता है। यह विकल्प उन मतदाताओं के लिए है, जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पर अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहते हैं।

16. **पंचायत–** भारत में पंचायती राज, शासन–व्यवस्था की एक पद्धति है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक इकाई होती है। इस पद्धति के तीन स्तर हैं– ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मण्डल परिषद् या क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), तथा जिला पंचायत (जिला स्तर)।

17. **बी.एल.ओ : बूथ लेवल ऑफीसर–** एक स्थानीय सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित होते हैं, और सामान्यतः उसी मतदान क्षेत्र के मतदाता होते हैं। वे अपनी स्थानीय जानकारी का प्रयोग करके मतदाता सूची को अद्यतन बनाने में सहायक होते हैं। वे चुनाव पंजीकरण अधिकारी की देखरेख में काम करते हैं, और, जो मतदान क्षेत्र उन्हें दिया गया है, उस क्षेत्र में सत्यापन करने, मतदाताओं से सम्बन्धित सूचनाएँ/आँकड़े एकत्र करने और मतदाता सूची या उसका एक हिस्सा तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है।

18. **मताधिकार–** राजनीतिक चुनावों में वोट देने का अधिकार।

19. **मतदान पंजीकरण–** वह कार्य व प्रक्रिया (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा से निर्धारित), जिसमें किसी पात्र व्यक्ति का नामांकन करके उसे मान्यता प्राप्त मतदाता बनाया जाता है।

20. **वीवीपीएटी.: वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल–** वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका मत उनके इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है, तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकेण्ड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देती है। उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से

कट जाती है और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

21. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार–** मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है। इसमें जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।

22. **सी.ई.ओ. : मुख्य चुनाव अधिकारी–** ये चुनावों का प्रबन्धन करने, दिशा–निर्देशन देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी होते हैं। ये राज्य में मतदाता सूची की तैयारी, उसके पुनरीक्षण और उसमें संशोधन करने के काम की देखरेख भी करते हैं।

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep